कार्यालय–मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलवर

कमांक 1113 **दिनांक** 19/3/24

संशोधित कार्यालय आदेश

माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, अलवर के पत्र कमांक स्था./2024/10299 दिनांक 18.03.2024 .की अनुपालना में न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 1 में ज्यादातर बैंकें स्थित हैं, जो कि धारा 138 एन0आई0 एक्ट का क्षेत्राधिकार होने से परिवाद पत्र भी न्यायालय एसीजेएम 1, राजगढ़ में ही प्रस्तुत होते हैं एवं इस न्यायालय में पुलिस थाना राजगढ़ व सिविल प्रकरण की सुनवाई और अन्य अधिनियमों के प्रकरणों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार भी है। जिससे उक्त न्यायालय में आमजन को शीघ्र व सुलभ न्याय प्राप्त नहीं हो रहा है।

अतः मैं **करुणा शर्मा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अलवर** दण्ड प्रकिया संहिता की धारा– 14 (1) व 15 (2) के तहत परिदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस कार्यालय द्वारा जारी पूर्व आदेश की निरंतरता में संशोधन करते हुए राजगढ़ तहसील मुख्यालय में स्थित पुलिस थाना राजगढ़ के क्षेत्राधिकारी के अंतर्गत उद्भूत होने वाले एन0आई0 एक्ट के परिवाद पत्रों की दायरी का क्षेत्राधिकार न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या–2, राजगढ़ को आवंटित करती हूं।

उक्त आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होगा ।

राजगढ़ तहसील मुख्यालय के संबंध में इस कार्यालय द्वारा जारी शेष आदेश यथावत रहेंगे।

sd/-
(करुणा शर्मा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अ ल व र
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अलवर (राज0)

कमांक 1114-22 दिनांक 19/03/24

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित है–

1. माननीय जिला एवम सेशन न्यायाधीश महोदय, अलवर
2. श्रीमान जिला कलक्टर, अलवर
3. श्रीमान् जिला पुलिस अधीक्षक, अलवर/संबंधित थाना.......................
4. कार्यालय प्रति/संबंधित न्यायालय/अध्यक्ष, बार एसोसियेशन...............
5. कम्प्यूटर शाखा, अलवर (उक्त आदेश को साईट पर अपलोड कर समस्त न्यायालय, अलवर न्यायक्षेत्र को ई–मेल करें)

(करुणा शर्मा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अ ल व र
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अलवर (राज0)